

दंडामी माड़िया

जनजाति



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़





प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 42 जनजाति और उनके उप जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई (31.76 प्रतिशत) भाग अनुसूचित जनजातियों का है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। आदिवासी समाज सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से परिपूर्ण रहती है। इनकी संस्कृति में ऐतिहासिक जिज्ञासा के अभाव के कारण कुछ पीढ़ियों का ही यथार्थ इतिहास किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के रूप में मिलता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियां अपनी अनूठी जीवनशैली, रीति-रिवाज और पारम्परिक मान्यताओं के लिए विश्व विख्यात हैं। यहां की प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट जीवनशैली, संस्कृति, नृत्य-संगीत, पोशाक एवं लोक परम्पराएं होती हैं। सीमित परिधि एवं लघु जनसंख्या के कारण इनकी संस्कृति में स्थिरता पायी जाती है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के “छायांकित अभिलेखीय श्रृंखला” के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **दंडामी माड़िया जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते हैं कि संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वालों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

शम्मी आबिदी आई.ए.एस.

संचालक

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

डी.डी. सिंह आई.ए.एस.

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़


दंडामी माड़िया



मार्गदर्शन : शम्मी आबिदी आई.ए.एस.
संचालक
निर्देशन : डॉ. रूपेन्द्र कवि
अध्ययन एवं प्रस्तुति : डॉ. राजेन्द्र सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

परिचय



दंडामी माड़िया जनजाति
निवासरत जिले

गौर सिंग नृत्य के लिये विख्यात दंडामी माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र में स्थित नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिले में निवास करती है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। इन्हें दंडामी माड़िया, माड़िया तथा नृत्य में पुरुष सदस्यों द्वारा धारित गौर सिंग युक्त मुकुट के आधार पर "बायसन हार्न माड़िया" भी कहा जाता है। जनजातीय सदस्य स्वयं को कोया, कोईतूर कहते हैं।

दंडामी माड़िया जनजाति का गौर सिंग नृत्य व परिजन की मृत्यु उपरांत स्थापित किये जाने वाले काष्ठ एवं पाषाण के स्मृति स्तंभ विख्यात है। गौर सिंग नृत्य में पुरुषों द्वारा सिर में धारित गौर सिंग युक्त मुकुट बस्तर व छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

1 नवंबर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक - 16 पर बायसन हार्न मारिया, दंडामी मारिया, माड़िया, मारिया अंकित है।

दंडामी माड़िया जनजाति में गोंडी बोली प्रचलित है। यह बोली द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत शामिल है।



उत्पत्ति एवं नामकरण

दंडामी माड़िया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। पं. केदारनाथ ठाकुर ने "बस्तर भूषण"(1908) ग्रंथ में माड़िया जाति की उत्पत्ति के संबंध में पृष्ठ 62-63 में लिखा है कि, "जगत की उत्पत्ति के विषय में इन लोगों का कहना है कि पहिले संसार में पानी ही पानी था। जमीन नाम को नहीं थी, उस पानी में एक सूखा वो पोला तुम्बे का फल था, उसमें डड्डे बुरका कोवासी नाम का सधुप्य था। भीमा देव जो वन में सब देवों से बड़ा वो मालिक है, बेहड़ा मारने लगा।जहां जहां नागर के चलते वक्त मिट्टी भीतर से खूब उठ आई वहां पहाड़ हो गये, उस जमीन में जंगल के झाड़ भी सब पैदा हो गये। बिहड़ा मार के भी देव चला गया और डड्डे बुरका कोवासी, अपनी औरत के साथ तुंबा से बाहर आया। तुंबा के फल खा डड्डे बुरका कोवासी का बनाया हुआ है। कुछ रोज बाद डड्डे बुरका कोवासी के दस लड़के वो दस लड़कियां दस इन्द्रियों से पैदा हुए। ये सब लड़के लड़कियाँ पालनार के जंगल में पैदा हुए मां बाप ने लड़के लड़कियों की आपस में शादी कर दी और उन लोगों के नाम कछिन, मुचकी, माड़वी माड़कमी, लेकामी, कोवासी, मिड़ियामी, पुन्नेम कुजामी, कड़ती कड़नी रखें ये ही इस गोत्र उनके हुए।" बस्तर के साहित्यकार लाला जगदलपुरी ने "बस्तर: इतिहास एवं संस्कृति" (1994) ग्रंथ के पृष्ठ 96 में लगभग समान उत्पत्ति कथा का उल्लेख किया है।



बस्तर के माड़िया गोंड पर आधारित सर डब्ल्यू. वी. ग्रिगसन के ग्रंथ "The Maria Gonds of Bastar"(1938) में माड़ियाओं को उनके निवास क्षेत्र के आधार पर दो भागों, अबूझमाड़ के पर्वतों के हिल माड़िया तथा इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में निवासरत बायसन हार्न माड़िया में विभाजित किया है। उन्होंने इस जनजाति के विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों द्वारा सिर पर धारित गौर सिंग (Bison-horn) के आधार पर बॉयसन हार्न माड़िया (Bison-horn Maria) संबोधित किया।

भौतिक संस्कृति

ग्राम

दंडामी माड़िया जनजाति वन एवं पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। ग्राम की बसाहट जल स्रोत के समीप व पर्वत के किनारे विस्तृत क्षेत्र में होता है। ग्राम में कच्चे या पक्के मार्ग से प्रवेश किया जाता है। ग्राम, पाराओं में बंटा होता है व मुख्य पारा में घरों की बसाहट कमवार होता है। गली के दोनों ओर आवास होते हैं, शेष भाग में आवास दूर-दूर होते हैं। ग्राम क्षेत्र में ग्राम देव-देवी की देवगुड़ी व अन्य देवी-देवताओं का मंदिर होता है। मंदिर के चारों ओर लकड़ी के खंबों या पत्थरों की दीवार का घेरा होता है। 'विस्क बट' या श्मसान ग्राम से बाहर होता है। स्मृति स्तंभ क्षेत्र मुख्य मार्ग, तिराहा या चौराहा के किनारे होता है। ग्राम के मुख्य भाग में स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, राशन दुकान आदि होते हैं।



आवास

दंडामी माड़िया जनजाति के आवास पहाड़ी के किनारे होते हैं, घर के पास बाड़ी या खुला भू-भाग होता है। दंडामी माड़िया ग्रामों में विस्तृत परिवार अधिक पाये जाने के कारण परिवार का आवास एक ही भू-खंड पर अलग-अलग या थोड़ी दूर में होता है किन्तु मुख्य पूजा स्थल पैतृक आवास में होता है।



आवास के चारों ओर बाँस या लकड़ी के खंबों की बाड़ या पत्थर या मिट्टी की कच्ची दीवार होती है, मध्यभाग में 'लोना' (आवास) स्थित होता है। आवास के किनारे या पास 'माने कोट्टाम' (बैठक कक्ष) होता है। कुछ आवास में इसकी दीवार आधी ऊँचाई का होता है। यह बैठक के साथ-साथ बहुउपयोगी स्थल होता है। आवास का पहला कक्ष 'ओसेर' (बरामदा) होता है, जिसके एक भाग में रसोई होता है। 'ओसेर' (बरामदा) से जुड़ा दो कक्ष होता है, पहला, 'पटानद' (शयन कक्ष) होता है। इसमें सामान भी रखा जाता है। दूसरा, 'विज्जा लोना' (धान भंडारण कक्ष) होता है। इसी कक्ष में पूजा स्थल होता है। कुछ आवास में 'ओसेर' (बरामदा) से जुड़ा हुआ 'रांधा लोना' (रसोई कक्ष) होता है।



इनके आवास के समीप पालतू पशुओं के लिये 'गोट कोट्टाम' (गाय-बैल का आवास), 'मेका कोट्टाम' (बकरी आवास), 'कोर गुड़ा' (मुर्गी-मुर्गा का स्थान) होता है। 'पद गुड़ा' (सुअर आवास) घर से दूर होता है।

दैनिक उपयोगी वस्तुएं

दंडामी माड़िया जनजाति के परिवारों में आर्थिक स्थिति व आवश्यकतानुरूप दैनिक उपयोगी वस्तुएं पाया जाता है। रसोई में भोजन पकाने के लिये मिट्टी या एल्युमिनियम के बर्तन पाये जाते हैं।

वे मिट्टी के विभिन्न आकार के बर्तन जिसमें पेज के लिये 'कुंडा', सब्जी पकाने के लिये 'टांगा' या 'टोकस' व धातु से निर्मित 'उकुड़' (चम्मच) का उपयोग करते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिये



सियाड़ी, महुआ, साल वृक्ष के पत्तों से बनाये गये 'जावा डोप्पा' (पेज दोना), 'कुड़का डोप्पा' (भात दोना), 'फूले डोप्पा' (दाल दोना), 'चोकनी' (छोटे आकार का सब्जी दोना) व पानी या पेय के लिये 'चिपड़ी' का उपयोग करते हैं। वे स्टील, एल्युमिनियम की थाली, कटोरी, गिलास का उपयोग भी करते हैं। इन परिवारों में धान कूटने के लिये ढेंकी, अनाज व दाल को कूटने-पीसने के लिये 'उस्पाल-आहक', 'जत्ता', मसाला कुटने-पीसने के लिये 'गुट्टे-ओकड़ी' का उपयोग करते हैं।



दैनिक उपयोगी घरेलू वस्तुओं में 'ऐत' (सूपा), 'कुच्चा' (टोकरी), 'माची कुतुल' (छोटा स्टूल), 'कुतुल' (पीढ़ा), 'गाड़ा कुच्चा' (ढोलगी या धान भंडारण का बांस निर्मित पात्र), 'डेड्डा' (सियाड़ी पत्ते से बना भंडारण का पात्र), 'कटुल' (खाट), 'टाटी' (चटाई) आदि वस्तुयें पाया जाता है। दंडामी माड़िया परिवारों में कृषि कार्य के लिये 'नांगेल' (हल), 'गोडेल' (कुल्हाड़ी), 'गुददाड़' (फावड़ा), 'गैती' (गैती), 'ऐटाड़' (हंसिया) आदि वस्तुयें, मछली पकड़ने का 'गालाम' (गरी-लाट), 'ऐंदेर' (विभिन्न प्रकार के दांदर), 'जारी' (जाल) आदि पाया जाता हैं।



वेशभूषा व आभूषण

दंडामी माड़िया सदस्य पूर्व में वस्त्रों का कम उपयोग करते थे। वर्तमान में छोटे बालक हाफ पैंट, बनियान, शर्ट, टी शर्ट व बालिकायें फ़ाक पहनती हैं। किशोर, युवा व प्रौढ़ पुरुष शर्ट, टी-शर्ट, हाफ पैंट, फूलपेंट, जींस, धोती, लुंगी, बनियान तथा महिला साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार-कुर्ता, गाउन पहनती हैं। वृद्ध पुरुष धोती को घुटने से उपर तक मोड़कर पहनते हैं व वृद्ध स्त्री एक ही साड़ी को पूरे शरीर में लपेटे रहती है।

दंडामी माड़िया स्त्री-पुरुष आभूषण के शौकीन होते हैं, वे सोना, चांदी, गिलट व अन्य धातुओं के आभूषण धारण करते हैं। सोने के आभूषण धारण करना व्यक्ति के उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति का सूचक है।



महिलायें सिर में क्लीप, कान में 'केव मुद्दा', 'केव पड़की', नाक में 'मसो कुट्टा', गले में 'टिया' (सोने या चांदी का आभूषण), 'पइसा नेड़ेक' (रूपया माला), 'चीप नेड़ेक', बांह में 'डंडा बाँहटा', कलाई में 'बाड़ा' (विभिन्न प्रकार की चूड़ी), कमर में 'करदोन' (करधन), अंगुलियों में 'मूद्दा' (अंगूठी), पैरों में 'टिया' (चांदी या गिलट का आभूषण) तथा अंगुलियों में 'मूद्दा' धारण करती हैं। पुरुष सदस्य कान में 'मूद्दा', कलाई में धातु का 'बाड़ा', गले में सोना या चांदी का 'नेड़ेक' या माला व हाथ की अंगुलियों में 'मूद्दा' धारण करते हैं।

दंडामी माड़िया जनजाति में 'गोदमाल' या गोदना गुदवाने की प्रथा है। दंडामी माड़िया स्त्रियाँ अपने माथा, चेहरे, कलाई व शरीर के अन्य अंगों में गोदना गुदवाती हैं। गोदना में फूल तथा अन्य आकृतियों सुंदरता के लिए गुदवाते हैं। पुरुष अपनी कलाईयों में फूल व नाम गुदवाते हैं।



जीवन संस्कार

जन्म संस्कार

दण्डामी माड़ि या जनजाति में मासिक चक्र रुकने से गर्भ का ज्ञान होता है। परिवार का मुखिया गर्भवती स्त्री व बच्चे की रक्षा व सुरक्षित प्रसव के लिये देवगुड़ी में मनौती करता है। ग्राम की जानकार स्त्रियों द्वारा घर की परछी या कमरे में प्रसव करवाया जाता है। लड़का जन्म होने पर तीर से तथा लड़की जन्म होने पर हंसिया से नाल काटते हैं। वर्तमान में संस्थागत प्रसव भी होने लगा है। नाल झड़ने के बाद छठी का आयोजन होता है। इसके कुछ दिनों के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है।



विवाह संस्कार

दंडामी माड़िया जनजाति में ममेरे-फुफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है। इनमें एकल तथा सकारण बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। दंडामी माड़िया जनजाति में जीवन साथी प्राप्ति हेतु सहमति विवाह सर्वाधिक होते हैं। इनमें



'खरचा' वधू मुख्य प्रथा प्रचलित है। सहमति विवाह में वर पक्ष की ओर से प्रस्ताव दिया जाता है। सहमति विवाह में पूर्व में पांच 'बडंग' (सगाई) का रिवाज था, वर्तमान में तीन 'बडंग' (सगाई) किया जाता है। विवाह तीन दिनों का होता है। इसमें प्रथम दिन दोनों पक्ष के सदस्य ग्रामीणों व संबंधियों को आमंत्रित करते हैं। इस दिन 'पुटुल ऐर' व 'यायो ऐर' का रस्म होता है। दूसरे दिन बारात जाते हैं, वहां 'खरचा' वधू मुख्य चुकाया जाता है व रात भर नृत्य किया जाता है। अगले दिन बारात वापस आने पर वर-वधू का स्वागत कर



आंगन में ले जाते हैं व दोनों को घर के द्वार के सामने एक साथ खड़े कर उन पर पानी डालते हैं। इस रस्म को 'जोड़ा ऐर' या जोड़ी मिलाने का पानी कहते हैं। इसके बाद देवी-देवता की पूजा करवाया जाता है। शाम को 'टिकान' की रस्म होता है जिसमें उपस्थित जन वर-वधू को आशीर्वाद व उपहार देते हैं व भोज होता है। दंडामी माड़िया जनजाति में पलायन विवाह, लमसेना विवाह, हरण विवाह तथा पुनर्विवाह विधि भी प्रचलित है।



मृत्यु संस्कार

परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर संबंधियों व ग्रामीणों को सूचित किया जाता है। सभी के एकत्र होने पर रस्म पूर्ण कर शव को श्मशान ले जाते हैं। इनमें शव दाह व दफनाने की परंपरा है। इसमें चिता या कब्र में शव का सिर पूर्व तथा पैर पश्चिम की ओर होता है। तीसरे दिन या कुछ दिनों के बाद 'कुटेह' संस्कार किया जाता है। इस दिन मृतक की आत्मा को घर के पूजा कक्ष में पितर देवों हेतु स्थापित 'अनाल कुंडा' मिलाते हैं।





दण्डामी माड़िया जनजाति में मृतक के प्रति श्रद्धा, स्नेह तथा चिरकाल तक स्मरणीय बनाये रखने के उद्देश्य से "स्मृति स्तंभ" बनाये जाते हैं। 'कुटेह' के दिन स्मृति स्तम्भ स्थापित किया जाता है। दण्डामी माड़िया जनजाति में "उर्से कल्ल", "दान्या कल्ल" व "मठ" प्रकार के स्मृति स्तंभ स्थापित किया जाता है। स्मृति स्तंभ का निर्माण काष्ठ या पत्थर से किया जाता है। प्रत्येक गोत्र हेतु स्मृति स्तंभ स्थल पृथक-पृथक होता है। काष्ठ का स्मृति स्तम्भ स्थापित करने के पूर्व खुदाई किया जाता है जबकि पत्थर का स्मृति स्तम्भ स्थापित कर चित्रकारी किया जाता है। स्मृति स्तंभ में व्यक्ति से संबंधित तथा सूर्य-चंद्र, पशु-पक्षी, दैनिक जीवन, नृत्य व जीवन के अन्य पक्षों को अंकित किया जाता है।



सामाजिक संरचना

दंडामी माड़िया जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति है। पं. केदारनाथ ठाकुर ने "बस्तर भूषण"(1908) ग्रंथ के पृष्ठ 43 में माड़िया जनजाति की उपजातियों का वर्णन किया है। उनके अनुसार, "माड़ियों के आदि वासस्थान बैलाडीला पहाड़ के आस-पास है, अब भी वे लोग वहीं रहते हैं। माड़िये तीन प्रकार के हैं— वर्तमान में अबूझमाड़िया कुवाकोंडा हल्के के माड़िये और तेलंगे माड़िये,(माड़िया अर्थात् कोया) ये लोग गोंड हैं।"

बस्तर के साहित्यकार लाला जगदलपुरी ने "बस्तर: इतिहास एवं संस्कृति" (1994) ग्रंथ के पृष्ठ 96 में उल्लेख किया है कि, "माड़िये दो प्रकार के होते हैं। दंडामी माड़िये और अबूझ माड़िये। अबूझ माड़िये, पहाड़ी होते हैं। वे अंतागढ़—नारायणपुर तहसील के अबूझमाड़ इलाके में रहते हैं और जो मैदानों पर बसे होते हैं, उन्हें दण्डामी माड़िये कहते हैं।"

दंडामी माड़िया सदस्य 'कोया' या 'कोईतूर' को मूल जाति मानते हैं तथा इससे गोंड, मुरिया, माड़िया व दोरला जातियों का निर्माण हुआ है। इसी कारण बोली, संस्कृति में अनेक समरूपता पायी जाती है।



दंडामी माड़िया समाज में परिवार मूल इकाई है। दंडामी माड़िया जनजाति में गठन के आधार पर केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। माड़िया जनजाति में वैवाहिक स्थिति के आधार पर एकल विवाही एवं बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं। दंडामी माड़िया परिवार पितृसत्तात्मक परिवार है अर्थात् परिवार में पिता प्रमुख होता है।

विस्तृत परिवारों के संयुक्त रूप को 'कुटमा' या कुटुम्ब की संज्ञा दिया जा सकता है। इसमें तीन से अधिक पीढ़ियों के रक्त संबंधी सदस्य होते हैं तथा वे अपने संबंधों को स्पष्टतः जानते हैं। दंडामी माड़िया समाज में 'कुटमा' या कुटुम्ब से उच्च स्तर में 'कट्टा' (गोत्र) पाया जाता है। दंडामी माड़िया जनजाति में कवासी,



माड़वी, वेको, लेकामी, कुंजामी, पोयामी, मरकामी, कुहरामी, उसेंडी, कवासी, पोड़ियामी, पदामी, करटामी आदि गोत्र पाये जाते हैं। इन गोत्र के गोत्र चिन्ह (टोटम) होते हैं।

सम्पूर्ण दंडामी माड़िया समाज के गोत्र, वैवाहिक तथा सामाजिक सम्बन्धों के नियमन व निर्वाह के लिये अनेक 'तर' (भातृदल) में विभाजित हैं, यह बहिर्विवाही समूह है। एक 'तर' (भातृदल) या समूह के सदस्य आपस में "दादलतमुर" एवं दूसरे पक्ष को "अक्कोमामा" की संज्ञा देते हैं। "अक्कोमामा" शब्द वैवाहिक संबंधियों गोत्र के लिये तथा "दादलतमुर" शब्द रक्त संबंधियों गोत्र के लिये प्रयुक्त होता है। इन 'तर' (भातृदल) का समूह दंडामी माड़िया जनजाति समाज है।

आर्थिक जीवन

दंडामी माड़िया जनजाति का आर्थिक जीवन प्रकृति व श्रम पर आधारित है। वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति संकलन, शिकार, मछली मारना, पशुपालन, परंपरागत कृषि एवं मजदूरी आदि मिश्रित कार्यों के माध्यम से करते हैं।

संकलन

दंडामी माड़िया सदस्य वनों से खाद्य एवं वनोपज संकलन करते हैं। संकलन का कार्य परिवार के सभी अर्धकार्यशील व कार्यशील सदस्य करते हैं। वे वन से अनेक प्रकार के जंगली कंद, भाजियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल, बांस का नवीन कोमल तना (बास्ता या करील), विभिन्न प्रकार के मशरूम आदि का संकलन खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। वे आम, इमली, जामुन, कोसा, चार, महुआ, तेंदू पत्ता आदि का संग्रहण बाजार में मुद्रा या वस्तु विनियम के लिये करते हैं।



शिकार



दंडामी माड़िया सदस्य फसल की रखवाली व “विज्जा वेटा” त्यौहार में सामूहिक ‘वेटा’ (शिकार) करते हैं। वे शिकार के लिए तीर—धनुष, गुलेल, कुल्हाड़ी, फरसा आदि हथियार तथा विभिन्न प्रकार के जाल व गोंद का उपयोग करते हैं। दंडामी माड़िया सदस्य जंगली सुअर, चुहे, खरगोश, चिड़िया, जंगली मुर्गा आदि का शिकार करते हैं। महिलाओं को शिकार करना निषेध है।

मछली मारना

दंडामी माड़िया स्त्री-पुरुष सदस्य खेत, तालाब, नदी, नाले से उपभोग हेतु मछली, झींगा, केकड़ा, कछुआ आदि जलीय जीव पकड़ते हैं। वे मछली मारने के लिये गरी, जाल, पेलना, दाँदर, तीर-धनुष आदि का उपयोग करते हैं। पुरुष सदस्य गरी, जाल, दाँदर, तीर-धनुष से मछली मारते हैं। महिलायें छोटे-छोटे गड़ढे या गीली मिट्टी से मेड़ बांध कर पानी के बहाव को रोक कर मछली पकड़ती हैं। वे पानी को छोटे बर्तन की सहायता से बाहर फेंक कर सारी मछलियों को पकड़ लेती हैं।



पशुपालन

दंडामी माड़िया जनजाति के अधिकांश परिवारों में पशुपालन किया जाता है। वे माँस, बलि, मनोरंजन, सुरक्षा, शौक एवं आय के लिये पशुपालन करते हैं। वे गाय, बैल, बकरा-बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, मुर्गा-मुर्गी, बतख, तोता, रामी चिड़िया, कोयल, मोर आदि पशु-पक्षी पालते हैं। दंडामी माड़िया गाय एवं बकरियों का दूध नहीं निकालते हैं, मान्यता है कि दूध पर बछड़े एवं बकरी के बच्चे का अधिकार है। दंडामी माड़िया सदस्य सुरक्षा हेतु कुत्ता पालते हैं।



कृषि

दंडामी माड़िया जनजाति के सदस्य मानसूनी वर्षा पर आधारित पारंपरिक कृषि करते हैं। वे अपने घर के समीप बाड़ी में, वन की ढलावदार 'ऐड़का' अर्थात् मरहान भूमि में तथा 'धार वेडा' अर्थात् गभार भूमि व 'वट या टिकरा वेडा' अर्थात् टिकरा भूमि में कृषि करते हैं वे वंजी (धान), जन्ना (मक्का), कोहला (कोसरा), इयमा (चिकमा), कोदा (कोदो), गड़के (कुटकी) अनाज, कोड़े (कुल्थी), पेरमी (राहर), पुपुल (उड़द), जाटा (सेम) दलहन, सरसों, नुंक (राम तिल) तिलहन तथा वंगा (टमाटर), बुरका (लौकी), गुम्मड़ (कुम्हडा), जीर्ा (खट्टा भाजी) आदि मौसमी सब्जियों का उत्पादन करते हैं।

दंडामी माड़िया सदस्य द्वारा प्रथम बारिश होने पर हल बैल से जुताई कर धान की बोआई किया जाता है। बारिश के उपरांत पौधे बड़े होने पर जुलाई—अगस्त में निंदाई कर खरपतवार को निकाला जाता है एवं फसल की रखवाली करते हैं। फसल पकने पर परिवार के सदस्य मिलकर काटते हैं। कटाई के बाद फसल को गोल घेर कर रखते हैं व कुछ दिनों बाद धान की मिंजाई किया जाता है। इस अवधि में मक्का, कोसरा आदि का उत्पादन करते हैं।

दंडामी माड़िया सदस्य प्रथम फसल कटने के उपरांत घर की बाड़ियों में या मरहान भूमि में जुताई कर रामतिल, सरसों की बुनाई करते हैं, जिसकी फसल दिसंबर तक काटते हैं। दंडामी माड़िया सदस्य अपने घर की बाड़ियों में सब्जियों का उत्पादन करते हैं।





दंडामी माड़िया धर्म आत्मा, गोत्र, पूर्वज एवं प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास आधारित है। दंडामी माड़िया जनजाति के सदस्य दंतेश्वरी देवी, मावली देवी, भैरम देव, परदेशीन माता, बंजारिन माता, गोत्र पेन तथा पूर्वज देव आदि की पूजा करते हैं। जिसका विवरण निम्नांकित है—

1. पूर्वज व गृहदेव- इनके आवास के विज्जा लोना (भंडार कक्ष) में गृहदेवता तथा पूर्वजों की आत्मा या "अनाल पेन" के लिये स्थान होता है। पूर्वजों के आत्मा के लिये प्रतीक स्वरूप "अनाल कुंडा" मिट्टी का पात्र होता है। त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर "अनाल पेन" व इष्ट देवता की पूजा तथा खाद्यान्न, सल्फी, शराब तथा अंडे या मुर्गी का चूजा बलि स्वरूप दिया जाता है। यहां परिवार के इष्ट देवता भी स्थापित होते हैं।

2. परिवार गुड़ी- दंडामी माड़िया जनजाति के एक कुटुम्ब का एक गुड़ी होता है, जिसमें परिवार का ईष्ट देव या देवी जैसे— परदेशीन देवी, कंकालीन देवी, मावली देवी स्थापित होते हैं। इसमें एक कुटुम्ब के सभी परिवारजन पूजा करते हैं। इसमें ग्राम देवता की अनुमति से जात्रा करते हैं।

3. ग्राम गुड़ी- ग्राम गुड़ी या ग्राम देवी—देवता का मंदिर गाँव के मध्य या किनारे स्थित होता है। इस मंदिर में ग्राम पुजारी पूजा करता है। इस मंदिर में सभी त्यौहारों में पूजा किया जाता है। इन गुड़ी में जलनी देवी, माड़िया डोकरा, मावली देवी, झाड़िन देवी आदि में से किसी एक देवी या देव स्थापित होते हैं।

4. करे- दंडामी माड़िया जनजाति के ग्राम में एक गोत्र की देवी का स्थान 'करे' कहलाता है। यह ग्राम से दूर जंगल में स्थित होता है। इसमें ग्राम में सर्वप्रथम बसने वाले परिवार या गोत्र का सदस्य पूजा करता है। जिसे माटी या ग्राम पुजारी कहते हैं, इस जगह का वृक्ष नहीं काटते। करे में तीन वर्ष एक बार 'करे पड़िया' (बछड़ा) की बलि देते हैं। शिकार में जाने से पूर्व करे में पूजा किया जाता है।

5. बरवा- दंडामी माड़िया जनजाति का धार्मिक स्थल "बरवा" ग्राम से दूर जंगल में होता है।



इसमें माटी या ग्राम पुजारी पूजा करता है। इसमें प्रतिवर्ष निश्चित तिथि को पूजा किया जाता है तथा हर तीन वर्ष में एक बार भैस या सफेद बकरा की बलि दिया जाता है। इस देव स्थल क्षेत्र में स्त्रियाँ नहीं जाती हैं, न ही प्रसाद ग्रहण करती हैं।

6. पेनगुड़ी/पेनदन्या- दंडामी माड़िया जनजाति के प्रत्येक गोत्र का "दन्या" या गोत्र देव का मंदिर क्षेत्र के किसी ग्राम में होता है। इसमें प्रत्येक वर्ष या तीन वर्ष में 'कट्टा पेन' अर्थात् गोत्र देव की विशेष पूजा अर्थात् करसाड़ जात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें गोत्र के सदस्य तथा अन्य देवी-देवता के विग्रह व पुजारी सम्मिलित होते हैं।





दंडामी माड़िया सदस्य त्यौहार के माध्यम से प्रकृति की आराधना कर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वे नयी फसल तथा नये फल—सब्जियों को अलग—अलग त्यौहार में देवी देवताओं अर्पित करने के पश्चात ही उपभोग करते हैं। वे त्यौहार में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नयी फसल, फल, सब्जियाँ अर्पित करते हैं तथा बलि देते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार अमुस (हरियाली), कोड़ता (नवाखानी), नुका नोरदा नाद (नया चावल धोने का पर्व), दियारी तथा करसाड़ जात्रा (गोत्र देव की पूजा पर्व) हैं।

राजनैतिक जीवन

दंडामी माड़िया जनजाति का राजनैतिक संगठन वंशानुगत परम्परा पर आधारित है। दंडामी माड़िया ग्राम अनेक पारों या टोलों में दूर-दूर बसे होते हैं। पारा या टोला के प्रमुख को 'पारा' मुखिया कहते हैं। अनेक पारों से मिलकर बने ग्राम के प्रमुख को 'पटेल' कहा जाता है। वह पंचो का नेतृत्व करता है। पटेल का कार्य ग्राम के विवादित मुद्दों तथा समस्याओं को पारा मुखिया तथा ग्राम बुजुर्गों की मदद से हल करना है। पुजारी, गायता के साथ पटेल प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है।



इनका कार्य ग्राम स्तर के विवादित मामलों की सुनवाई, परीक्षण व निर्णय करना है। एक ग्राम से अधिक ग्रामों के मामलों या अन्तरग्राम मामलों की सुनवाई दोनों ग्रामों के पटेल व वरिष्ठों



द्वारा मिलकर सुलझाया जाता है। अनेक ग्रामों से मिलकर 'परगना' बना होता है। उसके प्रमुख को 'परगना मांझी' कहते हैं। एक से अधिक गाँवों से संबंधित मामलों का निपटारा तथा किसी विवाद या समस्या का उचित समाधान न कर पाने पर उसका उचित समाधान करना परगना मांझी का कार्य होता है।

लोक-परम्परा



गौर सिंग नृत्य

गौरसिंग नृत्य दंडामी माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। गौरसिंग नृत्य को भारतीय जनजातियों में प्रचलित सबसे सुंदर नृत्यों में से एक माना जाता है।

दंडामी माड़िया सदस्य विवाह, मेला-मंडई, पर्व तथा धार्मिक उत्सव में एवं मनोरंजन हेतु गौरसिंग नृत्य करते हैं। गौर सिंग नृत्य में सामान्यतः चौबीस या अधिक संख्या स्त्री-पुरुष नर्तक होते हैं। गौर सिंग नृत्य में पुरुष अपने गले में ढोल या मांदर वाद्य लटका कर हाथों से छोटे डंडे का प्रहार कर बजाते हैं जबकि स्त्रियां लोहे के रॉड के उपरी सिरे में लोहे की विशिष्ट फलियों से युक्त 'गुजिड़' नामक वाद्य उपयोग करती हैं। गौर सिंग नृत्य महिला-पुरुष गोल घेरे में एक साथ करते हैं।

गौर सिंग नृत्य में पुरुष नर्तक सिर पर कौड़ी की लड़ियों से युक्त गौर सिंग मुकुट, सिक्कों की माला (पैसा नेड़ेक), प्लास्टिक मोतियों की माला (नेड़ेक), शर्ट (कुरता), धोती (तोका गिसिड़) एवं काला हाफ कोट (कोट कुरता) पहनते हैं तथा महिला नर्तक साड़ी, ब्लाउज, कमर पर कमरबंद (पट्टा), माथे पर कौड़ियों से युक्त पट्टा या धातु का पट्टा (तलुत्तड़), गले में सिक्कों की माला (पैसा नेड़ेक), प्लास्टिक मोतियों की माला (नेड़ेक), लाल माला (कुम्मा काया) व आभूषण तथा बांह में बाजूबंद (दंडा बाहड़ा), कलाई एवं पैरों पर गिलट व अन्य धातुओं से निर्मित गहने, पायल (मूया) पहनती हैं।

दंडामी माड़िया जनजाति के अनेक नर्तक दल सीनीय व अखिल भारतीय स्तर पर अपने नृत्य का प्रदर्शन कर प्रशंसा व पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।



शिकार नृत्य

शिकार नृत्य में दंडामी माड़िया नर्तक दल पशु शिकार का दृश्य नृत्य के माध्यम से जीवंत करते हैं। इस नृत्य में दो व्यक्ति वन में जाकर शिकार का प्रयास करते हैं किंतु शिकार के दौरान पशु से घायल होकर एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति गाँव जाकर पुजारी को बुलाकर लाता है, जो देवी आह्वान तथा पूजा कर घायल

व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है तथा दोनों व्यक्ति मिलकर पशु का शिकार करते हैं। शिकार प्राप्ति की खुशी में सभी मिलकर नृत्य करते हैं। शिकार नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है।

गेड़ी नृत्य

गेड़ी नृत्य भादो माह में नौ दिन तक कोसरा, मक्का, खट्टा भाजी खाने के नये त्यौहार के समय करते हैं। नवाखानी उत्सव का दिन इस नृत्य का आखिरी दिन होता है। गेड़ी नर्तक दल घरों में जाकर नृत्य करते हैं, बदले में उन्हें मक्का, कोसरा, खट्टा भाजी, चाँवल, पैसा देते हैं। जिसे एकत्र कर ग्राम गुड़ी (मंदिर) में जाते हैं। वहाँ पुजारी ग्राम देवी-देवता की पूजा कर प्रसाद वितरित करता है। इसके बाद गेड़ी नृत्य से एकत्रित सामग्री से भोजन पकाकर खाते हैं तथा गेड़ी को एक वृक्ष में लटका कर अपने-अपने घरों को लौट जाते हैं।



गेड़ी, बांस के लगभग पांच फीट लंबे दो टुकड़े पर बनाया जाता है। गेड़ी नृत्य में ढोलक, तुडबुडी, बांसुरी, झुमका एवं विसिल/सीटी वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हैं। गेड़ी नृत्य में दस या अधिक पुरुष नर्तक गोल घेरा में नृत्य करते हैं।



करसाड़ या ढोल नृत्य

करसाड़ नृत्य, करसाड़ जात्रा धार्मिक उत्सव में करते हैं। करसाड़ गोत्र देव की विशेष पूजा किया जाता है। करसाड़ जात्रा के विभिन्न रस्म के दौरान व पुजारी, सिरहा देवी-देवताओं के विग्रहों के साथ जुलूस के दौरान युवकों की टोली ढोल, कुंडूर बाजा के साथ नृत्य करते हैं। जुलूस की समाप्ति के पश्चात् शाम को युवक-युवतियाँ एकत्र होकर सारी रात नृत्य

करते हैं। इसमें पुरुष छोटे आकार के ढोल तथा महिला 'गुजिड़' के साथ नृत्य करती हैं।

विवाह नृत्य

दंडामी माड़िया जनजाति के विवाह में नृत्य की अनोखी परंपरा पायी जाती है। विवाह के दौरान अलग-अलग ग्रामों के अनेक नर्तक दल विवाह स्थल पर आकर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। यह परिवार की प्रस्थिति का सूचक है, इसमें नर्तक दल संध्या में विवाह स्थल पर आकर नृत्य प्रारंभ करते हैं जिसमें दूसरे नर्तक दल शामिल होते हैं। इस प्रकार बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष नर्तक ढोल-गुजिड़ व अन्य वाद्यों के साथ रात भर नृत्य करते हैं, तथा अगले दिन सुबह अपने गांव प्रस्थान करते हैं। वर-वधू के परिवारजन नर्तक दल को 'लांदा'(चावल की शराब) तथा महुए की शराब भेंट स्वरूप देते हैं।

दंडामी माड़िया जनजाति में 'पेंडूल पाटा' (विवाह के गीत), करसाड़ पाटा (गोत्र देव जात्रा के गीत), 'अनाल पाटा' (मृत्यु संस्कार के गीत), पेददेड़ पाटा (नामकरण संस्कार के गीत) आदि का प्रचलन है।



विकास एवं परिवर्तन



दंडामी माड़िया जनजाति बस्तर संभाग के बड़े भू-भाग में वन तथा पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति के अधिकांश सदस्य, शिक्षित सदस्य प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। जागरूकता का आभाव व आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण शैक्षणिक व अन्य विकासीय कार्यों में सहभागिता की कमी है।



वर्तमान में दंडामी माड़िया निवास क्षेत्रों में पहुंच मार्ग, सीमेंट कांक्रीट सड़क, पेयजल सुविधा (हैंडपंप), आंगनबाड़ी, शौचालय, शैक्षणिक संस्था, राशन दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास स्थापित किये जा रहे हैं।



जिससे क्षेत्रीय विकास की गति में वृद्धि हुई है अनेक दंडामी माड़िया सदस्य शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवा, स्वसहायता समूह, पंचायत स्तर व उच्च स्तर के राजनीतिक पदों पर विराजमान हैं।





दंडामी माड़िया जनजाति के नर्तक दल अपनी कला का प्रदर्शन स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कर अनेक पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं ।



छत्तीसगढ़ की जनजातियों के छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला क्रमांक -25 'दंडामी माड़िया'



संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

Website: cgtrti.gov.in, E-mail: trti.cg@nic.in

Phone: 0771-2960530, Fax: 0771-2960531